



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक - 612 / 12-1, मुनिकीरेती, दिनांक- 1 / 10 / 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 कि०मी०)।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक-8बी/यू०सी०पी०/०६/१३९/२०१८/एफ०सी०/८६७, दिनांक-२४.०७.२०१९।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित कमियों के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है, जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है:-

क्र० सं०	कमियां	निराकरण
1.	<p>In reply following observation have been made :</p> <p>(i) State Govt. mentioned refrence of letter of this letter dt. 21.05.2019 instead of 24.12.2018</p> <p>(ii) Reply of only 05 points submitted instead of 10 points.</p> <p>(iii) Out of 05 Points Only first five points match to this office EDS dt. 24.12.2018</p>	<p>बिन्दु संख्या-01 के क्रम में आख्या निम्नवत् है :-</p> <p>i. उच्च स्तर से सम्बन्धित है।</p> <p>ii. भारत सरकार के दिनांक-24.12.2018 के पत्र में इंगित 10 बिन्दुओं का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा उनके पत्रांक-2993/12-1, दिनांक-18.04.2019 से इस कार्यालय को प्रेषित किये गये थे जिनमें से केवल 05 बिन्दुओं का निराकरण ही संतोषजनक पाये गये। शेष 05 बिन्दुओं का निराकरण कर पुनः प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा प्रेषित किया गया। उक्त निराकरण आख्या ऑनलाईन के माध्यम से अग्रसारित किये गये थे।</p> <p>iii. भारत सरकार के EDS dt. 24.12.2018 में उल्लेखित सभी 10 बिन्दुओं की निराकरण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्न)</p>
2.	<p>It has been observed in many cases in the past also that the proposal is not being examined properly in the nodal and their letters having wrong referenced no. and incomplete/wrong reply. State Government is requested to kindly submit the proposal to this office after thorough check.</p>	<p>नोडल कार्यालय से सम्बन्धित है।</p>
3.	<p>इसके अतिरिक्त राज्य सरकार Muck dumping हेतु गैर-वन क्षेत्र का चयन करना सुनिश्चित करें। अभी चार में से मात्र 02 स्थानों पर गैर वन क्षेत्र में dumping प्रस्तावित है। इसके साथ ही dumping से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची पृथक् से प्रस्तुत करें।</p>	<p>बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव में 04 डम्पिंग यार्ड चयनित किये गये हैं जिनमें से 02 डम्पिंग यार्ड वन भूमि में तथा 02 डम्पिंग यार्ड हेतु गैर वन भूमि में स्थित है। चूंकि उक्त स्थल में डम्पिंग यार्ड हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है, जिस कारण 02 डम्पिंग यार्ड वन भूमि में लिये गये हैं। उक्त चारों डम्पिंग यार्ड में किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिसका प्रमाण पत्र पार्ट-1 के Additional documents में अपलोड किया गया है।</p>

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

P.T.O.

संख्या :- / , तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक-867/12-1,दि0-18.09.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वन संरक्षक


क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक-867/12-1,दि0-18.09.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।	18.09.2019
2	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक-867/12-1,दि0-18.09.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।	18.09.2019
3	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक-867/12-1,दि0-18.09.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।	18.09.2019

(Handwritten signature)
जीवन चन्द्र जोशी
वन संरक्षक

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक-8बी/यू0सी0पी0/06/139/2018/एफ0सी0/2012, दिनांक-24.12.2018 द्वारा उल्लेखित कमियों की निराकरण आख्या निम्नवत सादर प्रेषित है :-

क्र० सं०	कमियां	निराकरण
1.	KML file of CA area is uploaded at para C (ii) b in place of proposed road.	बिन्दु संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावित मोटर-मार्ग की के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट-I के पैरा- C (ii) b में एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के0एम0एल0 फाईल पार्ट-I के पैरा- L (iv) c में अपलोड की गयी है।
2.	Bar chart is not found submitted/uploaded.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में Bar chart पार्ट-I के additional information details में क्र०सं०-10 में अपलोड किया गया है।
3.	Name of village mentioned at para B-2.3 is Manjgaon but VLC submitted for Saund and Manjgaon.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया था कि इस मोटर मार्ग से सौंद एवं मंजगांव जुड़ते हैं जिस कारण दोनों गांव की आम सहमति के प्रपत्र संलग्न किये गये हैं, तदनुसार उक्त दोनों गांव, पार्ट-I में B-2.3 (Village wise breakup) में अंकित कर दिये गये हैं।
4.	Overwriting has been found in CA scheme which needs to be corrected.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में प्रभाग स्तर से संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना पार्ट-II के पैरा-13 (additional information details) के क्र०सं०-03 में अपलोड की गयी है।
5.	Comprative statement of various alignment of road is not found uploaded.	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में Comprative statement of various alignment of road पार्ट-I के additional information details में क्र० सं०-12 में अपलोड किया गया है।
6.	Authority letter is not submitted in hard copy.	बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में Authority letter की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
7.	AS per DSS the total area provided is less than the required.	बिन्दु संख्या-07 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपलब्ध करायी गयी सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरित वनभूमि के दोगुने से कम नहीं है।
8.	Part-V is not submitted in Hard copy.	उच्च स्तर से अपेक्षित है।
9.	Muck disposal plan is not found uploaded.	बिन्दु संख्या-09 के अनुपालन में मक डिस्पोजल प्लान पार्ट-I के additional information details में क्र०सं०-21 में अपलोड किया गया है।
10.	Following documents have not been uploaded in web portal :- a. Tree enumeration list. b. Aerial distance certificate. c. Work not start certificate.	बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में Tree enumeration list, Aerial distance certificate and Work not start certificate पार्ट-I के additional information details में क्रमशः क्र०सं०-13, 09 एवं 14 में अपलोड किये गये हैं।

भवदीय



(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

